महत्वपूर्ण एवं खास

सीमावर्ती राज्य ओड़ीसा में विधानसभा/लोकसभा निर्वाचन 20 मई को

रायगढ़। कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीमावर्ती राज्य ओड़ीसा के विधानसभा/लोकसभा निर्वाचन-2024 के घोषित कार्यक्रम अनुसार मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व 18 मई 2024 को सायंकाल 5 बजे से लेकर 20 मई 2024 को मतदान समाप्ति तक रायगढ़ जिले की सीमा के 5 किलोमीटर की परिधि में संचालित देशी मदिरा दुकानों (सी.एस.-2 घघ), कंपोजिट मदिरा दुकानों (सीएस-2 घघ कंपोजिट) तथा विदेशी मदिरा दुकानों (एफ.एल.-1 घघ)को पूर्णत: बंद रखे जाने हेतु शुष्क दिवस घोषित किया है। जिसमें देशी मदिरा दुकान जामगांव, विदेशी मदिरा दुकान जामगांव तथा कम्पोजिट मदिरा दुकान टपरंगा (धौराभांठा) एवं रेंगालपाली शामिल है। उक्त शुष्क दिवस में मदिरा का संपूर्ण संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।

अनुपस्थिति के संबंध में आंगनवाड़ी सहायिका पायल सिदार को 22 मई तक देना होगा जवाब

सारंगढ़-बिलाईगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना सारंगढ़ के परियोजना अधिकारी ने पायल सिदार आंगनबाड़ी सहायिका आंगनबाड़ी केंद्र, वार्ड क्रमांक 9/4 सेक्टर सारंगढ़ शहरी को अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में जवाब मांगा है। पायल सिदार को जारी पत्र में कहा गया है कि आप दिनांक 20 मार्च 2024 से निरंतर बिना किसी सूचना के अनुपस्थित हैं। छत्तीसगढ़ शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका नियुक्ति संबंधित निर्देश वर्ष 2008 के कंडिका 13.5 के अनुसार एक माह से अधिक अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण आपकी सेवाएं समाप्ति की जानी है। इस संबंध में आपको अपना पक्ष रखने हेतु 15 दिवस का समय दिया जाता है। 8 मई 2024 को पत्र जारी किया गया है, उस अनुसार 15 दिन की अवधि और जवाब देने की अंतिम तारीख 22 मई 2024 है। निर्धारित समय अवधि के भीतर जवाब प्राप्त नहीं होने या संतोषप्रद जवाब नहीं होने पर आपकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।

नवविवाहिता की कुंए में मिली संदिग्ध हालत में लाश

बलरामपुर-रायपुर (आरएनएस)। बलरामपुर जिले के ग्राम पंचायत चेरा में नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बुधवार सुबह कुएं में मिला है। परिजनों के हत्या के आरोप लगाने से गांव में तनाव की स्थिति बन गई। दहेज के लिए बेटी की हत्या का आरोप पिता ने ससुराल पक्ष पर लगाया है। पुलिस शुरुआती जांच में हत्या मानकर केस दर्ज कर रही है। घटना के बाद पति और ससुर फरार हैं। मामला डिंडो चौकी क्षेत्र का है। झारखंड के ग्राम लवालीकला निवासी पूजा यादव (22) की शादी ग्राम चेरा निवासी आशीष यादव के साथ 2 मई 2023 को सामाजिक रीति रिवाज के साथ हुआ था। पूजा यादव के परिजनों ने बताया कि शादी के दौरान पांच लाख रुपये नगद और दो लाख का सामान दहेज में दिया गया था। इसके बाद भी आशीष यादव दहेज में पैसों की मांग कर पत्नी पूजा को प्रताड़ित करता था।

राज्य पात्रता परीक्षा के लिए 9 जून तक जमा होंगे आवेदन

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाना है। राज्य पात्रता परीक्षा के लिए ऑनलाईन आवेदन 9 जून 2024 तक लिए जाएंगे। परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ व्यापम के पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा के कार्यक्रम अनुसार ऑनलाईन आवेदन की प्रारंभिक तिथि 13 मई और अंतिम तिथि 9 जून 2024 है। त्रुटि सुधार की सुविधा 10 जून से 12 जून तक रहेगी। परीक्षा 21 जुलाई 2024 को संभावित है। पात्रता परीक्षा हेतु छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी प्रतिभागियों से किसी भी प्रकार की परीक्षा शुल्क नहीं ली जाएगी। पात्रता परीक्षा के संबंध में विस्तृत जानकारी व्यापम की वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है।

अनवर ढेबर की जमानत याचिका कोर्ट ने की खारीज

रायपुर (आरएनएस)। कांग्रेस शासन काल में शराब घोटाले को मुख्य आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका को खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश ने रिमांड अवधि बढ़ा दी है। वहीं दुर्ग के शराब कारोबारी त्रिलोक सिंह ढिल्लन की जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। इस मामले के अन्य आरोपी आईटीएस अफसर एपी त्रिपाठी और उनके सहयोगी रहे अरविंद सिंह की भी रिमांड 30 मई तक बढ़ गई है। इन सभी को एसीबी ईओडब्लू ने कोर्ट में पेश किया था।

खरसिया के छोटे मुड़पार में हुआ समर कैम्प का आयोजन आंगनबाड़ी से आठवीं तक के बच्चे हुए शामिल

रायगढ़

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल के निर्देशन एवं जिला पंचायत सीईओ जितेन्द्र यादव के मार्गदर्शन में खरसिया विकासखंड अंतर्गत अंजोरीपाली संकुल के ग्राम छोटे मुड़पार में आंगनबाड़ी से आठवीं तक के बच्चों का सीखना-सिखाना केंद्र में समर कैम्प का आयोजन अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से किया गया। जिसमें प्रतिदिन 20 से 41 बच्चों ने उपस्थिति दर्ज की गई।

सीखना-सिखाना केंद्र के हर दिवस को चार विभिन्न हिस्सों मे बाँटा गया पहला सर्कल टाइम ऐक्टिविटी-इसमें बच्चों के साथ हिन्दी एवं अंग्रेजी के बालगीत को हाव-भाव और अभिनय के साथ रोजाना गाया जाता था एवं उस दिवस में होने वाले क्रियाओं पर बातचीत की जाती थी। इसमे रोजाना बच्चों के साथ आज की बात भी की जाती थी। इस प्रक्रिया से बच्चों के अंदर अपने आप को सभी के समक्ष बिना किसी हिचक रखने का मौका दिया जा रहा था, जिससे की उनमे आत्मविश्वास बढ़े, साथ ही अभिव्यक्ति की दक्षता का विकास हो सके। दूसरा-भाषा की दुनिया-इसके अंतर्गत स्थानीय कहानी का वाचन, अभिनय, हाव-भाव से किसी टीएलएम के माध्यम से प्रस्तुत करना, हस्तपुस्तिका निर्माण व लेखन हेतु सुझाव, बच्चों से पहले दिन सुनी गई कहानी को पुन: सुनना, उस कहानी में आए शब्दों को लेकर बात करना, इसी तरह की किसी अन्य कहानी का लेखन, रचनात्मक लेखन के अवसर देना, किसी थीम पर लिखना जैसे खेत, तालाब, नदिया, बादल आदि। बच्चों को स्थानीय त्यौहारों के संबंध में व्यक्तव्य देने के लिए आमंत्रित करना एवं उनके स्थानीय परिवेश के संबंध में बनने वाली समझ को परिपुष्ट करना। इसमे हिंदी एवं गणित दोनों ही भाषा पर विभिन्न गतिविधियों की माध्यम से कार्य किया गया। इससे बच्चों के अंदर बौद्धिक क्षमता का विकास, लेखन कौशल मे विकास, पढने-लिखने की क्षमता का विकास, नवीन शब्दों को सीखने की प्रक्रिया को ध्यान दिया गया साथ ही स्थानीय परिवेश से बच्चों को जोडने का अभिनव पहल है। तीसरा-गणित के खेल-गणित के अंतर्गत संख्या पूर्व अवधारणा, 1 से 20 तक की संख्याओं को लिखकर उसके ऊपर संख्या अनुसार कंचे या कंकड़ जमाना और संख्या पहचान, जोड़, घटाव, गुणा, आकार एवं स्थानिक समझ, मापन आदि जैसे विभिन्न अवधारणाओं पर विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कार्य किया गया जैसे की कार्यपुस्तिका, आइ हैव-यू हैव गतिविधि आदि। चौथा-कला की दुनिया- इसके अंतर्गत बच्चों को रचनात्मक तौर पर स्वतंत्र किया गया जिसमे उन्होंने अपने मान की कल्पना को विभिन्न कलाओं द्वारा कागज पर उतारा। जैसे-पत्तों से कलाकारी, सब्जियों से चित्रकारी, रंगीन चावल की कला, मिट्टी का खिलौना निर्माण, अपनी अंगुली और अंगूठे से चित्रकारी, ऑरगामी वर्क, धागे से विभिन्न डिजाइन बनाना, मुखौटा निर्माण कर उस पर नाटक प्रस्तुत करना आदि। अंतिम दिवस बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की एक प्रदर्शनी भी रखी गई जिसमे बच्चों के पालक भी शामिल हुए। इस पूरे समर कैम्प के आयोजन में ग्राम के यादराम पटेल का पूरा सहयोग मिला।

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को लेकर आयोजित हुई बैठक

रायगढ़

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.बी.के.चंद्रवंशी के अध्यक्षता में आज स्वास्थ्य कार्यालय के आरोग्यम् सभाकक्ष में जिला कार्यक्रम प्रबंधक रंजना पैंकरा की उपस्थिति में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण को लेकर जिले में डाटा संबंधी एक दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई के जूनियर रिसर्च अधिकारी आर.के. सिंह, नवीन गरेहवाल एवं डॉ.नीता उपस्थित रही। यह कार्यक्रम जिले के समस्त विकासखंड डाटा से संबंधित जिले के 48 गांव में कार्य किया जा रहा है। जिसमें चिन्हांकित 22 परिवारों का परिवार संबंधित ब्लड शूगर,बी.पी, उँचाई नापना, वजन लेना, उच्च रक्तचाप, शिशुवती, गर्भवती महिलाओ का टीकाकरण कार्ड, एड्स, टीबी, जनित रोगों के बारें में महिलाओ-पुरूषों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। ताकि भारत सरकार को योजना बनाने में महत्वपूर्ण डाटा द्वारा तैयार किया जा सकें। इस कार्यक्रम में चॉइस कंसलटेंसी सर्विस प्रायवेट लिमिटेड कंपनी रायपुर एजेंसी के रूप में संपूर्ण छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम को किया जा रहा है जिसमें फील्ड मेनेजर के रूप में अनिल कुमार टंडन, जिला समन्वयक के रूप में संत कुमार यादव, आईटी कोआरडीनेटर रितेश डेरे के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम सफल हुआ। कार्यक्रम में कुल सुपरवायजर सर्वेयर करके 50 लोग शामिल रहे।

सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा अलार्म, स्मोक डिटेक्टर इंस्टाल और सर्विसिंग कोर्स का निशुल्क प्रशिक्षण 20 मई से प्रारंभ

❐ वाट्सअप नंबर 7974942078 में इच्छुक आवेदक कर सकते हैं पंजीयन

सारंगढ़-बिलाईगढ़

रायगढ़ एवं सारंगढ़ -बिलाईगढ़ जिले के ग्रामीणों के लिए 20 मई से शुरू होने वाले सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा अलार्म, स्मोक डिटेक्टर इंस्टाल और सर्विसिंग कोर्स का निशुल्क प्रशिक्षण के लिए पंजीयन वाट्सअप नंबर 7974942078 में किया जा सकता है।

भारतीय स्टेट बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, रायगढ़ में सीसीटीवी कैमरा, सुरक्षा अलार्म, स्मोक डिटेक्टर इंस्टाल और सर्विसिंग कोर्स का 13 दिवसीय निशुल्क प्रशिक्षण 20 मई 2024 से प्रारंभ किया जाएगा। प्रशिक्षण के लिये पंजीयन प्रारंभ हो चुका हैं। इस प्रशिक्षण के लिये रायगढ़ एवं सारंगढ़ -बिलाईगढ़ जिले के ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के शिक्षित बेरोजगार युवक, युवती एवं महिला, पुरुष को प्रशिक्षण दिया जाना हैं। प्रशिक्षण में भाग लेने के लिये उम्र 18 वर्ष से 45 वर्ष एवं कम से कम 08 वीं पास और 12वी पास होना अनिवार्य हैं। प्रशिक्षणार्थी अपने साथ अंकसूची, आधार कार्ड, गरीबी रेखा राशन कार्ड, बैंक पासबुक एवं 05 रंगीन पासपोर्ट साईज का फोटो लेकर भारतीय स्टेट बैंक गामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान टी.वी. टॉवर रोड़ क्षेत्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास प्रशिक्षण केन्द्र के पीछे छोटे अतरमुड़ा रायगढ़ में पंजीयन करा सकते हैं। प्रशिक्षण से संबंधित जानकारी के लिये इस नम्बर पर वाट्सअप करके पंजीयन करा सकते हैं। वाट्सअप नंबर 7974942078 ,8656919787,7999984982 में संपर्क कर सकते हैं। प्रशिक्षण के दौरान रहना,खाना एवं सीखना पूर्णतः निःशुल्क हैं।

छात्रावासों में मासिक स्वास्थ्य जांच के लिए निजी प्रेक्टिशनर चिकित्सक 31 मई तक कर सकते हैं आवेदन

❐ सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय रायगढ़ में पंजीकृत डाक के माध्यम से किया जा सकेगा आवेदन

रायगढ़

जिले में संचालित छात्रावास/आश्रमों में वर्ष 2024-25 हेतु प्रवेशित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु रायगढ़ जिले के निजी प्रेक्टिशनरों जिनकी योग्यता एमबीबीएस, बीएएमएस एवं बीएचएमएस डिग्रीधारी चिकित्सकों से एक या एक से अधिक संस्थाओं (छात्रावास/आश्रम)के लिए 31 मई 2024 तक आवेदन पत्र मंगाये गये है। इच्छुक चिकित्सक अपना आवेदन कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़ में निर्धारित तिथि तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक से भेज सकते है।

सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय, रायगढ़ से प्राप्त जानकारी के अनुसार निजी प्रेक्टिशनर चिकित्सकों को जिले में स्वीकृत 50 सीटर छात्रावास/आश्रमों में प्रवेशित छात्र-छात्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु 750 रुपये प्रति भ्रमण एवं 100 सीटर छात्रावास/आश्रमों में छात्र-छात्राओं के चिकित्सकीय परीक्षण हेतु 1200 रुपये प्रतिभ्रमण मानदेय भुगतान दिया जाएगा। निजी चिकित्सक माह में कम से कम दो बार छात्रावास/आश्रम के छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। साथ ही प्रत्येक छात्रावास/आश्रम के विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण उपरांत एक स्वास्थ्य पंजी में विवरण दर्ज करेंगे। इच्छुक निजी चिकित्सक अपने लेटर पेड में आवेदन पत्र के साथ शासकीय/मान्यता प्राप्त मेडिकल कालेज/संस्था से उत्तीर्ण चिकित्सक डिग्री एवं चिकित्सकीय कार्य का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुभव प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र, स्थायी/अस्थायी मोबाइल नंबर, वर्तमान पता तथा भारतीय स्टेट बैंक के खाता के प्रथम पृष्ठ (जहां फोटो चस्पा हो) एवं पेन कार्ड की छायाप्रति के साथ कार्यालय सहायक आयुक्त आदिवासी विकास रायगढ़ में निर्धारित तिथि तक कार्यालयीन समय में पंजीकृत डाक से भेज सकते है। आवेदन पत्र सीधे कार्यालय में नहीं लिया जाएगा। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र मान्य नहीं किए जायेंगे। नये अभ्यर्थी उल्लेखित समस्त दस्तावेज/प्रमाण-पत्र के साथ आवेदन कर सकेंगे तथा वर्ष 2023-24 में अनुबंधित (कार्य कर चुके)अभ्यर्थी अपने लेटर पेड में सामान्य आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे।

निजी चिकित्सकों का चयन जिला स्तरीय चयन समिति के निर्णय द्वारा पात्रता के आधार पर किया जाएगा। चिकित्सकीय कार्य हेतु अनुबंध के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा। नियमों एवं शर्तो की विस्तृत जानकारी सहायक आयुक्त आदिवासी विकास कार्यालय, रायगढ़ में कार्यालयीन दिवस एवं समय पर संपर्क कर सकते है।

स्वास्थ्य कार्यालय में मनाया गया राष्ट्रीय डेंगू दिवस

❐ रैली निकालकर लोगों को किया गया जागरूक, डेंगू के लक्षण एवं बचाव के संबंध में दी गई जानकारी

रायगढ़

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आज 'समुदाय के सहभागिता से डेंगू नियंत्रण करें' थीम पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ के सभा कक्ष में सीएमएचओ डॉ.चंद्रवंशी की उपस्थिति राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया।

इस अवसर पर समस्त शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में डेंगू पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित की गई एवं डेंगू के रोकथाम, लक्षण तथा उपचार पर लोगों को जागरूक किया गया। वार्ड स्तर पर मितानिनों, महिला आरोग्य समिति के सदस्यों तथा समुदाय के लोगों के द्वारा रैली निकाली गई। समस्त मितानिन ट्रेनर एवं शहरी स्वास्थ्य स्टाफ की बैठक भी आयोजित की गई। जिसमें समुदाय स्तर पर डेंगू के रोकथाम एवं डेंगू के उपचार में मितानिनों की भूमिका एवं समुदाय स्तर पर किए जाने वाले विभिन्न गतिविधियों द्वारा निर्देश दिए गए साथ ही जनसामान्य से अपील कि गई की रायगढ़ जिला को डेंगू मुक्त बनाने में सहयोग प्रदान करें। इस दौरान डेंगू के संबध में जागरूक करने लोगों को पाम्पलेट का भी वितरण किया गया।

राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर जिला मलेरिया अधिकारी डॉ.टी.जी. कुलवेदी ने डेंगू के लक्षण एवं बचाव के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डेंगू बीमारी एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से फैलता है। जिसके लक्षण में अचानक तेज सिर दर्द व तेज बुखार, मांसपेशियों एवं जोड़ों में दर्द होना, आँखों के पीछे में दर्द होना, जी मिचलाना एवं उल्टी होना, गंभीर मामलों में नाक व मुंह से खुन आना, त्वचा पर चकत्ते उभरना आदि होता है। उन्होंने बचाव के संबंध में उपाय बताते हुए कहा कि डेंगू मच्छर से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर के आस-पास साफ-सफाई रखनी चाहिए, नालियों में जला हुआ मोबिल, मिट्टी तेल का छिड़काव करनी चाहिए। हमेशा फूल आस्तीन के वस्त्र पहनना चाहिए, रात को सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, कुलर में स्थिर पडे हुए पानी का निष्कासन, टायर, नारियल खोल इत्यादि में ठहरे हुए पानी को खाली करना चाहिए। आम जनता डेंगू बीमारी से घबराए नही बल्कि जागरूक होकर सही समय पर इसका इलाज करवाये।

विश्व उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर स्क्रीनिंग कैम्प का आयोजन 17 मई को

रायगढ़। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई के अवसर पर जिला एवं विकासखंड स्तर पर जागरूकता लाने एवं उच्च रक्तचाप से संबंधित बीमारियों के रोकथाम हेतु स्वस्थ जीवन शैली अपनाने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा एनपी-एनसीडी कार्यक्रम अंतर्गत चिन्हांकित है। जिसके तहत 17 मई को प्रात: 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला पंचायत कार्यालय, जिला एवं सत्र न्यायालय कार्यालय में स्क्रीनिंग किया जायेगा। सीएमएचओ डॉ.चंद्रवंशी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वर्ष का थीम अपने उच्च रक्तचाप को सही तरीके से मापे, इसे नियंत्रित करें और अधिक समय तक जीवित रहे है। जिसके तहत् उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह स्क्रीनिंग कैंप का आयोजन सार्वजनिक एवं शासकीय कार्यालयों में लगाया जायेगा। उच्च रक्तचाप एवं मधुमेह के रोकथाम हेतु प्रचार-प्रसार कार्यक्रम गतिविधि किया जायेगा, ग्राम सभा में आम जनता को उच्च रक्त चाप एवं मधुमेह संबंधी जानकारी सी.एच.ओ द्वारा प्रदान की जाएगी। जिसमें अधिक से अधिक नागरिक पहुँचकर स्वास्थ्य का लाभ ले सकते है।

शराब बेचते दो आरोपियों से 81 पाव देशी प्लेन शराब और 11 नग बीयर जब्त

❐ कयाघाट में अवैध शराब बिक्री की सूचना पर जूटमिल पुलिस की कार्रवाई

❐ आरोपियों पर आबकारी एक्ट की अलग-अलग कार्रवाई

रायगढ़

अवैध शराब पर कार्रवाई के क्रम में कल रात्रि थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज के नेतृत्व में वार्ड क्र. 29 कयाघाट में जूटमिल पुलिस द्वारा मुखबीर सूचना पर शराब रेड कार्रवाई किया गया। थाना प्रभारी को मुखबीर से सूचना मिली थी कि कयाघाट का विजय टण्डन और उसका भाई रवि टण्डन अपने घर दुकान में शराब रखकर अवैध रूप से बिक्री कर रहे हैं। शराब रेड की अलग-अलग कार्रवाई में संदेही विजय टण्डन के कब्जे से पुलिस द्वारा 30 पाव देशी मशाला शराब, 32 पाव देशी प्लेन शराब, 11 नग फाइव थाऊजेंड बीयर और संदेही रवि टण्डन के कब्जे से 10 पाव मशाला देशी शराब एवं 09 पाव देशी प्लेन शराब जप्त किया गया है। दोनों रेड कार्रवाई में आरोपियों से कुल 81 पाव देशी प्लेन/मशाला शराब और 11 नग बीयर कुल कीमती 8,370 रूपये का जप्त किया गया है। थाना जूटमिल में आरोपी विजय टण्डन पर धारा 34(2),59(क) आबकारी एक्ट तथा आरोपी रवि टण्डन पर धारा 34(1)(क) आबकारी एक्ट की कार्रवाई किया गया है। शराब रेड कार्रवाई में थाना प्रभारी जूटमिल निरीक्षक मोहन भारद्वाज, सहायक उप निरीक्षक राजेन्द्र पटेल, प्रधान आरक्षक विरेन्द्र भगत, महिला प्रधान आरक्षक रेखा नागरे, आरक्षक विकास सिंह, शशिभूषण साहू शामिल थे।

खरसिया पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर, आरोपी गया जेल

रायगढ़

पुलिस चौकी खरसिया को थाना बालको जिला कोरबा से बिना नंबरी अपराध डायरी अग्रिम विवेचना कार्यवाही के लिए प्राप्त हुआ। चौकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक संजय नाग द्वारा मामले के आरोपित कान्हू उर्फ कन्हैया दास महंत निवासी जूटमिल रायगढ़ पर असल अपराध क्रमांक 286/2024 धारा 376 आईपीसी 6 पॉक्सो एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर तत्काल अपने स्टाफ के साथ आरोपी की पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये रायगढ़ में दबिश दिये और आरोपी को हिरासत में लिया गया जिसे आज गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

पीड़ित बालिका की ओर से उसकी मां द्वारा थाना बालकों में 14 मई को अपराध दर्ज कराया गया कि वह अपने मायके बालको में रह रही है। उसके बच्चे उसके दादा-दादी के पास खरसिया में रहते हैं। बीते मार्च महीने उसकी बड़ी लड़की को अपने पास बालको लेकर आई थी। महिला ने उसकी लड़की को कान्हू महंत जूटमिल से मोबाइल पर बात करते देखी और मना की जिस पर लड़की वापस अपने दादा-दादी के पास जाने की जिद करने लगी और बिना बताए 12 मई अकेले खरसिया चली गई। 14 मई को महिला अपनी लड़की के पास खरसिया आई और उससे पूछताछ की तो लड़की ने कान्हू उर्फ कन्हैया दास महंत द्वारा पिछले 1 साल से बहला फुसलाकर शारीरिक शोषण करने की बात बताई। महिला द्वारा थाना बालको में आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया। चौकी खरसिया पुलिस को अपराध डायरी प्राप्त होने पर चौकी प्रभारी द्वारा महिला संबंधी अपराध को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन पर त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी कान्हू उर्फ कन्हैया दास महंत 29 साल निवासी निवासी जूटमिल रायगढ़ को गिरफ्तार कर आज दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट के अपराध में न्यायिक रिमांड पर पेश कर जेल भेजा गया है।

अवैध शराब कारोबार में लिप्त दो सगे भाइयों पर खरसिया पुलिस ने की कार्यवाई आरोपियों से 25 लीटर महुआ शराब और शराब बनाने की बर्तन की जब्त

❐ दोनों आरोपी आबकारी एक्ट में गये जेल

रायगढ़

खरसिया क्षेत्र में अवैध शराब पर दूसरे दिन लगातार कार्यवाही जारी है। प्रशिक्षु आईपीएस एवं थाना प्रभारी खरसिया आकाश श्रीश्रीमाल के नेतृत्व में आज खरसिया पुलिस की टीम मुखबीर सूचना पर ग्राम गाड़ाबोरदी में शराब रेड कार्यवाही किया गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों भाई अपने घर के पीछे बाड़ी में अवैध बिक्री के लिए महुआ शराब बना रहे हैं। पुलिस टीम ने रवि कुमार जांगड़े और उसका भाई किशन लाल जांगड़े को हाथ भट्टी में अवैध शराब बनाते हुए पकड़ी। शराब रेड कार्रवाई में आरोपी- आरोपी रवि जांगड़े पिता सेवक राम उम्र 30 वर्ष निवासी गाड़ाबोरदी के कब्जे से पांच-पांच लीटर वाले दो प्लास्टिक जरकिन में तैयार हुआ 10 लीटर महुआ शराब कीमती रु.2000 और 30 लीटर क्षमता वाली सिल्वर डेचकी/कढाहीनुमा बर्तन जप्त किया गया है।

वहीं आरोपी किशन लाल जांगड़े पिता सेवक राम उम्र 27 वर्ष निवासी गाड़ाबोरदी के कब्जे से 3 प्लास्टिक जरिकन में भरा 15 लीटर महुआ शराब तथा शराब निर्माण के बर्तनों को जप्त कर विधिवत गिरफ्तार किया गया। खरसिया पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों पर थाना खरसिया में पृथक-पृथक आबकारी एक्ट की धारा 34(2),59(क) के तहत कार्रवाई कर न्यायालय पेश किया गया, जहां आरोपियों का जेल वारंट प्राप्त होने पर आरोपियों को जेल दाखिल किया गया है। प्रशिक्षु आईपीएस आकाश श्रीश्रीमाल के हमराह शराब रेड कार्यवाही में सहायक उप निरीक्षक लक्ष्मी नारायण राठौर, सउनि उमाशंकर धृतांत, आरक्षक प्रदीप तिवारी, सत्यनारायण सिदार और रमेश कुमार बरेठ शामिल थे।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480